

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप. प्रक. क्र.—877 / 2013

संस्थित दिनांक—07.10.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—रूपझर,

अन्तर्गत चौकी उकवा, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — अभियोजन

विरुद्ध

1. श्रीमति सुशीलाबाई पति रामभरोषे ब्रोम्हे, उम्र 56 साल,
निवासी उकवा बस्ती थाना रूपझर जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. जितेन्द्र पिता रामभरोषे ब्रोम्हे, उम्र 33 साल, जाति कलार,
निवासी उकवा बस्ती थाना रूपझर जिला बालाघाट (म.प्र.)
3. मनोज पिता रामभरोषे ब्रोम्हे, उम्र 34 साल, जाति कलार,
निवासी उकवा बस्ती थाना रूपझर जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपीगण

— :: **निर्णय** :: —

(आज दिनांक 14 / 11 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 506 (भाग—2) का आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक 17.09.2013 को शाम के 07:00 बजे थानान्तर्गत रूपझर में लोकस्थान हनुमान मंदिर लोकमार्ग पर फरियादिया लीलाबाई को माँ—बहन की अश्लील गाली उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया एवं फरियादिया लीलाबाई को भयभीत एवं क्षोभ कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया लीलाबाई ने चौकी उकवा में दिनांक 18.09.2013 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध

कराई कि दिनांक 17.09.2013 को शाम के करीब 07:00 बजे उसके पड़ोस में गणेश स्थानना एवं प्रसाद वितरण हो रहा था उसने रोड पर पंगत बैठाने से मना किया तो सुशीलाबाई उसे गाली देकर बोली की साली वेश्या तू कौन होती है। उसने गाली देने से मना किया तो उसके लड़के जितेन्द्र एवं मनोज उसे गन्दी-गन्दी गालिया देते हुये बोला कि यदि इस मोहल्ले में रही तो जाने से खत्म कर देंगे की धमकी दी। फरियादिया की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 91/13 अन्तर्गत धारा 294, 506(बी), 34 भा.दं.वि. पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचनापूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506 (बी), 34 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपीगण को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506 (भाग-2) का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपीगण का बचाव है कि वह निर्दोष हैं, फरियादी ने ट्रक खड़ा करने को लेकर विवाद किया एवं फरियादी ने पूर्व की रंजिश को लेकर पुलिस से मिलकर उनके विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार कराकर उन्हें झूठा फंसाया है।

(05) आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपीगण ने दिनांक 17.09.2013 को शाम के 07:00 बजे ग्राम उकवा बस्ती मेन रोड हनुमान मंदिर के पास रोड किनारे थानान्तर्गत रूपझर में लोकस्थान पर फरियादिया लीलाबाई को माँ-बहन की अश्लील गाली उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

(ब) क्या आरोपीगण ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया लीलाबाई को भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर

संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित
किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ' एवं 'ब' :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ' एवं 'ब' का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी/फरियादिया लीलाबाई (अ.सा.01) का कहना है कि घटना दिनांक 17.09.2013 की शाम के 07:00 बजे ग्राम उकवा की हैं। आरोपी जितेन्द्र एवं मनोज और उनकी माँ सुशीलाबाई आये और उसे माँ बहन की गन्दी-गन्दी गालिया देने लगे और गन्दी-गन्दी देते हुये बोला कि इसे जान से मार डालो। घटना की रिपोर्ट लिखाई जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था।

(08) फरियादिया के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी/कायमीकर्ता छगनसिंह बघेल (अ.सा.05) का कहना है कि उसने दिनांक 18.09.2013 को लीलाबाई की रिपोर्ट पर से प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-01 लेखबद्ध किया था एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता सीताराम (अ.सा.06) का भी कहना है कि दिनांक 19.09.2013 को आरक्षी केन्द्र रूपझर के अपराध क्रमांक 91/13 की केश डायरी प्राप्त होने पर उसने घटनास्थल पर जाकर फरियादिया लीलाबाई की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। आरोपी मनोज, जितेन्द्र एवं सुशीलाबाई को गिरफ्तार कर क्रमशः गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-03, 04, 05 तैयार किया था। फरियादिया लीलाबाई एवं साक्षी कोमल, संजू के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

(09) फरियादिया के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी शिवशंकर (अ.सा.02) एवं सुनील (अ.सा.03) का कहना है कि आरोपीगण को पुलिस ने उनके सामने गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-03, 04, 05 तैयार किया था। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी सुधीर (अ.सा.04) का भी कहना है कि घटना दिनांक 17.09.

2013 के शाम के 07:00 बजे ग्राम उकवा उसके घर के सामने की है। वह राजपुर गया था और वापस आया तो आरोपीगण उसकी मां को गालियों दे रहे थे कि मादर चोट कुतिया तेरे को गांव में नहीं रहने देंगे। सुशीलाबाई बाद में आई और उसने भी माँ बहन की गन्दी-गन्दी गालिया दी। आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी कोमल (अ.सा.07) का भी कहना है कि घटना उसके कथन से आठ माह पुरानी ग्राम उकवा प्रार्थी लीलाबाई के घर के सामने की है। आरोपीगण प्रार्थी लीलाबाई को गालिया दे रहे थे और मारने पीटने की बात कर रहे थे।

(10) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता का बचाव है कि वह निर्दोष हैं, फरियादिया ने पुरानी रंजिश को लेकर एवं ट्रक घर के सामने खड़ा करने के लिये पुलिस की बात को लेकर पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन हुआ है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाये।

(11) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(12) अभियोजन साक्षी/फरियादिया लीलाबाई (अ.सा.01) का कहना है कि घटना दिनांक 17.09.2013 की शाम के 07:00 बजे ग्राम उकवा की हैं। आरोपी जितेन्द्र एवं मनोज और उनकी माँ सुशीलाबाई आये और उसे माँ बहन की गन्दी-गन्दी गालिया देने लगे और गन्दी-गन्दी देते हुये बोला कि इसे जान से मार डालो। घटना की रिपोर्ट लिखाई जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था।

(13) फरियादिया के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी/कायमीकर्ता छगनसिंह बघेल (अ.सा.05) का कहना है कि उसने दिनांक 18.09.2013 को लीलाबाई की रिपोर्ट पर से प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-01 लेखबद्ध किया था एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता सीताराम (अ.सा.06) का भी कहना है कि दिनांक 19.09.2013 को आरक्षी केन्द्र रुपझर के अपराध क्रमांक 91/13

की केश डायरी प्राप्त होने पर उसने घटनास्थल पर जाकर फरियादिया लीलाबाई की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। आरोपी मनोज, जितेन्द्र एवं सुशीलाबाई को गिरफ्तार कर क्रमशः गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-03, 04, 05 तैयार किया था। फरियादिया लीलाबाई एवं साक्षी कोमल, संजू के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

(14) फरियादिया के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी शिवशंकर (अ.सा.02) एवं सुनील (अ.सा.03) का कहना है कि आरोपीगण को पुलिस ने उनके सामने गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-03, 04, 05 तैयार किया था। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी सुधीर (अ.सा.04) का भी कहना है कि घटना दिनांक 17.09.2013 के शाम के 07:00 बजे ग्राम उकवा उसके घर के सामने की है। वह राजपुर गया था और वापस आया तो आरोपीगण उसकी मां को गालियाँ दे रहे थे कि मादर चोट कुतिया तेरे को गांव में नहीं रहने देंगे। सुशीलाबाई बाद में आई और उसने भी माँ बहन की गन्दी-गन्दी गालिया दी। आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी कोमल (अ.सा.07) का भी कहना है कि घटना उसके कथन से आठ माह पुरानी ग्राम उकवा प्रार्थी लीलाबाई के घर के सामने की है। आरोपीगण प्रार्थी लीलाबाई को गालिया दे रहे थे और मारने पीटने की बात कर रहे थे।

(15) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/फरियादिया लीलाबाई एवं साक्षी शिवशंकर, सुनील, सुधीर और कोमल एवं विवेचनाकर्ता तथा कायमीकर्ता ने अभियोजन का समर्थन किया है किन्तु साक्षी/फरियादिया लीलाबाई ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 04 में यह स्वीकार किया है कि झगड़ा पंगत बिठाने की बात पर नहीं हुआ और न ही उस दिन पंगत बैठी थी और उसने पुलिस को भी नहीं बताया कि घटनास्थल पर पंगत बैठी थी। साक्षी ने घटना के एक घण्टे बाद घटना दिनांक 17.09.2013 को रिपोर्ट लिखाई बताया है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 को कायमीकर्ता ने दिनांक 18.09.2013 लिखना बताया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/फरियादिया लीलाबाई एवं विवेचनाकर्ता के कथनों में विरोधाभास है तथा फरियादिया के कथनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन होने से आरोपीगण ने दिनांक 17.09.2013 को शाम के 07:00

बजे थानान्तर्गत रूपझर में लोकस्थान हनुमान मंदिर लोकमार्ग पर फरियादिया लीलाबाई को माँ-बहन की अश्लील गाली उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादिया लीलाबाई को भयभीत एवं क्षोभ कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया। यह अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।

(16) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 17.09.2013 को शाम के 07:00 बजे थानान्तर्गत रूपझर में लोकस्थान हनुमान मंदिर लोकमार्ग पर फरियादिया लीलाबाई को माँ-बहन की अश्लील गाली उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादिया लीलाबाई को भयभीत एवं क्षोभ कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(17) परिणाम स्वरूप आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506 (भाग-2) के आरोप में दोषसिद्ध न पाते दोषमुक्त किया जाता है।

(18) प्रकरण में आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं, उनके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)